फा.सं.13/02/2017-स्था.(वेतन-I)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 28 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः पदोन्नति होने पर निचले पद में अगली वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन के निर्धारण के लिए विकल्प की उपलबधता और विकल्प दिए जाने पर सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 के संदर्भ में अगली वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन के निर्धारण की पद्धति के स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 27.07.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पश्चात् इस विभाग को पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर इस विभाग में व्यय विभाग के परामर्श से विचार-विमर्श किया गया तथा संदेह के बिंदुओं को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जाता है:

क्र.सं.	**संदेह का बिंदु**	**स्पष्टीकरण**
1.	पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के लागू होने की तारीख	चूंकि पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग-परिदृश्य के संदर्भ में है, अतः यह 01.01.2016 से लागू है।
2.	क्या ऐसे कर्मचारी जिन्हें 01.01.2016 एवं पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख अर्थात् 27.07.2017 के बीच में पदोन्नति होने के फलस्वरूप वेतन-निर्धारण हित लाभ प्रदान किए गए हैं; उन्हें एफआर 22(I)(क)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के अपने विकल्प का पुनः प्रयोग/संशोधित करने की अनुमति होगी।	परिवर्तित परिस्थितियों के अधीन इस विभाग के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पश्चात् कर्मचारियों को इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर एफआर 22(I)(क)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के अपने विकल्प का पुनः प्रयोग/संशोधित करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस प्रकार संशोधित किया गया विकल्प अंतिम होगा।

2. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इनके लागू होने का संबंध है, इन आदेशों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है।

3. इस कार्यालय ज्ञापन के हिंदी व अंग्रेज़ी रूप के किसी प्रावधान में विरोधाभास की परिस्थिति में अंग्रेज़ी रूप में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।

(राजीव बाहरी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय।
3. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एआईएस प्रभाग)/जेसीए/प्रशा. अनुभाग।
5. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल।
6. सचिव, जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी फिरोजशाह रोड़ नई दिल्ली।
7. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य
8. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/पीईएसबी के सभी अधिकारी/अनुभाग।
9. संयुक्त सचिव (कार्मिक), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।
10. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।
11. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

रा० बाहरी

(राजीव बाहरी)

अवर सचिव, भारत सरकार